Central Goods & Services Tax Rules, 2017

CHAPTER - XII ADVANCE RULING

Rule 103 : Qualification and appointment of members of the Authority for Advance Ruling

¹[The Government shall appoint officers not below the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.]

Substituted by Noti. No. 22/2017–Central Tax, dt. 17-08-2017 w.e.f. 01-07-2017. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;The Central Government and the State Government shall appoint officer of the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अध्याय 12 अग्रिम विनिर्णय

नियम 103 : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हता और नियुक्ति

¹[सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 22/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

^{&#}x27;'केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्ति करेगी।''